न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 93/2022

1. कालूराम पुत्र मेशाराम, जाति माली, निवासी समस्त ढाणी गदसिंह वाली, किशोरपुरा, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2. ओमप्रकाश पुत्र मेशाराम, जाति माली, निवासी समस्त ढाणी गदसिंह वाली, किशोरपुरा, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
3. संजय पुत्र मेशाराम, जाति माली, निवासी समस्त ढाणी गदसिंह वाली, किशोरपुरा, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
4. शशीकांत पुत्र मेशाराम, जाति माली, निवासी समस्त ढाणी गदसिंह वाली, किशोरपुरा, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

–अपीलार्थी

–बनाम–

1. शिम्भुदयाल पुत्र श्री चौथमल सैनी जाति माली निवासी ग्राम किशोरपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी ।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.10.2022 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी शीर्षक शिम्भुदयाल बनाम कालूराम प्रकरण संख्या 2/2022 राज0 काश्तकारी अधि01955 की धारा 251

उपस्थितिः–

1. श्री फूलचन्द सैनी , एडवोकेट ----------अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री उम्मेदराज सैनी, एडवोकेट -------रेस्पोडेंट संख्या 1 ओर से
3. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट----------रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 28.02.2023

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.10.2022 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी शीर्षक शम्भुदयाल बनाम कालूराम प्रकरण संख्या 2/2022 राज0 काश्तकारी अधि01955 की धारा 251 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी वि[illegible] आदेश दिनांक के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं [illegible] का कथन है कि तथाकथित रास्ता पटवारी हल्का ने जो अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में [illegible] नक्शा पेश किया है, इसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.03.10 17:02:17 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

खसरा नंबर 1281/636 रकबा 0.27 हैक्टर खसरा नंबर 636 खसरा नंबर 634 खसरा नंबर 1069/34 में से होकर खसरा नंबर 1097/633 में आने के लिए रास्ता प्रस्तावित किया है। रेस्पोडेंट इस सम्पूर्ण भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं है। भूमि खसरा नंबर 1281/636 के खातेदार भूरा पुत्र सेडूराम है। खसरा नंबर 636 रकबा 0.27 हैक्टेयर का खातेदार अनिता कोशल्या पुत्री सोनाराम, पोकर, मंगला, मुरली पुत्रगण लच्छाराम, राधेश्याम, लीलाराम पुत्र सोनाराम, शीशराम पुत्र लच्छाराम, संतोष पुत्र लच्छाराम सुंदरी पुत्री लच्छाराम है। उक्त भूमि के खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया है। यह भूमि अपीलांट के खातेदारी की नहीं है, इसलिए अपीलांट इस भूमि में से रास्ता उपलब्ध नहीं करवा सकता। ऐसी स्थिति में उदयपुरवाटी तहसीलदार का फैसला अवैध फैसला है। उक्त भूमि में से जो रास्ता, जिस उद्देश्य के लिए चाहा गया है,वह मात्र अपने मकानों में आने जाने के लिए मांग की गई है,जबकि धारा 251 काश्तकारी अधि के तहत तहसीलदार काश्तकारों को जमीन काश्त करने के लिए पगडण्डी उपलब्ध करवा सकता है वह भी सभी खातेदारों को नोटिस देकर व उन्हें सुना जाकर ही आदेश पारित कर सकता है। पूर्व में जो रिपोर्ट पटवारी हल्का ने दिनांक 21.7.2022 को बनाइ है, उसमें विवादित रास्ता अस्तित्व में होना नहीं बताया है। रेस्पोडेंट ने तहसीलदार गुढा गौड़जी के यहां प्रार्थना पत्र धारा 251 का पेश किया है जिस पर तहसीलदार गुढा गौड़जी ने दिनांक 15.7.2022 को पटवारी हल्का किशोरपुरा को निरीक्षण का आदेश दिया है। जबकि फैसला तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा किया गया है। इस प्रकार उक्त निर्णय अवैध है जिसको लागू नहीं करवाया जा सकता। उक्त रास्ता कटाण का रास्ता भी नहीं है। तहसीलदार बिना कटाण के रास्ते को नहीं खुलवा सकता। धारा 251 में पहले ग्राम पंचायत को प्रार्थना पत्र देना चाहिये था। ग्राम पंचायत 45 दिन में इसका निस्तारण नहीं करती है तो फिर वह संबंधित तहसीलदार को प्रकरण रेफर करना चाहिए था। उक्त कानूनी बिंदु कि पालना भी नहीं की गई। इसलिए तहसीलदार का उक्त निर्णय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किया है जो काबिले निरस्त है। अंत में अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के निर्णय दिनांक 18.10.2022 प्रकरण संख्या 2/2022 उनवानी शिम्भुदयाल बनाम कालूराम वगैरह अवैध निर्णय होने से इसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर [illegible] को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। [illegible] मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.03.10 17:02:17 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि :– तथाकथित रास्ता पटवारी हल्का ने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में जो नजरी नक्शा पेश किया है, उसमें खसरा नंबर 1281/636 रकबा 0.27 हैक्टर खसरा नंबर 636 खसरा नंबर 634 खसरा नंबर 1069/34 में से होकर खसरा नंबर 1097/633 में आने के लिए रास्ता प्रस्तावित किया है। रेस्पोडेंट इस सम्पूर्ण भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं है। भूमि खसरा नंबर 1281/636 के खातेदार भूरा पुत्र सेडूराम है। खसरा नंबर 636 रकबा 0.27 हैक्टेयर का खातेदार अनिता कोशल्या पुत्री सोनाराम, पोकर, मंगला, मुरली पुत्रगण लच्छाराम, राधेश्याम, लीलाराम पुत्र सोनाराम, शीशराम पुत्र लच्छाराम, संतोष पुत्र लच्छाराम सुंदरी पुत्री लच्छाराम है। उक्त भूमि के खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया है। यह भूमि अपीलांट के खातेदारी की नहीं है, इसलिए अपीलांट इस भूमि में से रास्ता उपलब्ध नहीं करवा सकता। ऐसी स्थिति में उदयपुरवाटी तहसीलदार का फैसला अवैध फैसला है। उक्त भूमि में से जो रास्ता, जिस उद्देश्य के लिए चाहा गया है, वह मात्र अपने मकानों में आने जाने के लिए मांग की गई है, जबकि धारा 251 काश्तकारी अधि0 के तहत तहसीलदार काश्तकारों को जमीन काश्त करने के लिए पगडण्डी उपलब्ध करवा सकता है वह भी सभी खातेदारों को नोटिस देकर व उन्हें सुना जाकर ही आदेश पारित कर सकता है। पूर्व में जो रिपोर्ट पटवारी हल्का ने दिनांक 21.7.2022 को बनाई है, उसमें विवादित रास्ता अस्तित्व में होना नहीं बताया है। रेस्पोडेंट ने तहसीलदार गुढा गौड़जी के यहां प्रार्थना पत्र धारा 251 काश्तकारी अधि0 का पेश किया है जिस पर तहसीलदार गुढा गौड़जी ने दिनांक 15.7.2022 को पटवारी हल्का किशोरपुरा को निरीक्षण का आदेश दिया है। जबकि फैसला तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा किया गया है। इस प्रकार उक्त निर्णय अवैध है जिसको लागू नहीं करवाया जा सकता। उक्त रास्ता कटाण का रास्ता भी नहीं है। तहसीलदार बिना कटाण के रास्ते को नहीं खुलवा सकता। धारा 251 काश्तकारी अधि0 में पहले ग्राम पंचायत को प्रार्थना पत्र देना चाहिये था। ग्राम पंचायत 45 दिन में इसका निस्तारण नहीं करती है तो फिर वह संबंधित तहसीलदार को प्रकरण रेफर करना चाहिए था। उक्त कानूनी बिंदु कि पालना भी नहीं की गई। इसलिए तहसीलदार का उक्त निर्णय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किया है जो काबिले निरस्त है। [illegible] अपील [illegible] स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के निर्णय [illegible] /2022 उनवानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.03.10 17:02:17 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

शिम्भुदयाल बनाम कालूराम वगैरह अवैध निर्णय होने से इसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट नंबर 1 ने दौराने बहस कथन किया कि– अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी ने विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण धारा 251 राज0 काश्तकारी अधि0 में दर्ज किया जाकर पूर्व से प्रचलित रास्ते में अपीलांट द्वारा बंद किये जाने पर विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत आदेश पारित कर रास्ता खुलवाया गया है। तहसीलदार उदयपुरवाटी के आदेश की क्रियान्विति हो चुकी है। तहसीलदार उदयपुरवाटी को धारा 251 राज0 काश्तकारी अधि0 के अन्तर्गत पूर्व से प्रचलित रास्ते को खुलवाने का क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। ग्राम पंचायतों से धारा 251 के अन्तर्गत रास्ता खुलवाने के अधिकार सरकार द्वारा वापिस ले लिये गये हैं। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन किया गया तथा अपने पक्ष समर्थन में 2018 आर.आर.डी पेज 92, 2021 1 डीएनजे रेवन्यु 661, 2022 डीएनजे रेवन्यु 643 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पूर्व से प्रचलित रास्ते को अपीलांट द्वारा बंद किये जाने पर धारा 251 राज0 काश्तकारी अधि0 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये खोला गया है। तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। तहसीलदार उदयपुरवाटी के निर्णय की पालना में फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ते से अस्थाई अवरोध हटाकर आवागमन योग्य बनाया गया है। आदेश की क्रियान्विति हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पूर्व से प्रचलित रास्ते को अपीलांट द्वारा बंद किये जाने पर धारा 251 राज0 काश्तकारी अधि0 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये बंद रास्ते को खुलवाने हेतु आदेश पारित किया गया है। फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 31.10.2022 के अनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी के निर्णय दिनांक 18.10.2022 की पालना में रास्ते से अस्थाई अवरोध हटाकर आवागमन योग्य बनाया गया है। आदेश की क्रियान्विति हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के आदेश दिनांक 18.10.2022 में कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.03.10 17:02:17 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

होने से, खारिज की जाती है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक दिनांक 28.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.03.10 17:02:17 IST
Reason: SelfAttested